

**प्रतिलिपि :-** यह आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र क्रमांक-बी.ए. 07/2018, धारा 439 दं.प्र.सं. के संदर्भ में आज दिनांक 16.01.2018 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :-

समारु आयु 45 वर्ष पिता श्री अमर सिंह जाति बैगा  
निवासी-ग्राम लगमा/राजपुर तहसील बैहर  
जिला बालाघाट - - - - आवेदक ।  
// विरुद्ध //

म.प्र.शासन द्वारा :-वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य  
जिला-बालाघाट - - - - अनावेदक ।

- -0- -

**{आदेश दिनांक 16/1/2018 की प्रतिलिपि}**

आवेदक द्वारा श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता उपस्थित ।

राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित ।

प्रथम जमानत आवेदन क्रमांक बी.ए. 07/2018 अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य के पी.ओ.आर. क्रमांक 2586/2033 की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त ।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए ।

आवेदक की ओर से श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है, अपराध से कोई संबंध नहीं है, संदेह के आधार पर मिथ्या फंसाया गया है, उड़न गिलहरी पेड़ से नीचे गिर गई थी, मुरछित हो गई, इसी बीच कुत्ते के द्वारा उस पर प्रहार किया गया, कुत्तों को भगाया गया, कुत्तों के काटने से वह मर गई, आवेदक बैगा जाति का अनपढ़ व्यक्ति है, गिलहरी को उठा लिया, काटकर ला रहा था, वन विभाग द्वारा पकड़कर गिरफ्तार किया गया है, जमानत पर रिहा होना चाहता है, शर्तों का पालन करेगा, इसी जिले का स्थायी निवासी है, अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। विचारण में सहयोग करेगा, प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में जमानत आवेदन विचाराधीन नहीं है, जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर आजाद किए जाने की याचना की।

राज्य/अनावेदक की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक 2586/33 धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आवेदक के कब्जे से अनुसूची-2 में दर्ज उड़न गिलहरी जप्त हुई है, इस जमानत आवेदन पत्र पर घोर विरोध कर आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य के अपराध क्रमांक 2586/33 की केस डायरी एवं प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया ।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक के कब्जे से उड़न गिलहरी जो कि अनुसूची श्रेणी- II की प्राणी है, जिसकी मांस व खाल जप्त हुई है। इस आधार पर आवेदक जमानत का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

अतः आवेदक की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 07/2018 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति पी.ओ.आर.क्रमांक 2586/33 की डायरी के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि अन्वेषण अधिकारी निर्धारित अवधि में अन्वेषण पूर्ण कर परिवाद पेश करे, ताकि विचारण न्यायालय आरोप की विरचना पश्चात् छः माह की अवधि में गुणदोष पर मामले का निराकरण कर सके।

यह आवेदन पंजी से निरस्त कर, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(माखनलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

**प्रतिलिपि :**

1— वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य की एक प्रति पी.ओ.आर. क्रमांक 2586/33 की डायरी के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अन्वेषण अधिकारी निर्धारित अवधि में अन्वेषण पूर्ण कर परिवाद पेश करे, ताकि विचारण न्यायालय आरोप की विरचना पश्चात् छः माह की अवधि में गुणदोष पर मामले का निराकरण कर सके।

सही/—

(माखनलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर